250/2022

तारीख हुक्म		हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर अहलकार की सामी
	07/11/24	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वांछित अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार योग्य है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 13.6.2023 से उभयपक्ष को मूलवाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा 07/11/2024	